

न्यायालय : भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)
कमांक / 106 / 2025 जिला गुना, दिनांक 29.01.2025

— :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह फरवरी+मार्च 2025::—

माह फरवरी+मार्च 2025 के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में गुना जिला एवं आरोन, राघौगढ, चांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमांड ड्यूटी नियत की जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य रिमांड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

— ::जिला न्यायिक स्थापना-गुना ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह फरवरी 2025	माह मार्च 2025
	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर	01-02-2025	-
	श्रीमती ऋतु श्री गुप्ता	09-02-2025 23-02-2025	-
3	श्रीमती सरिता डाबर वास्कले	-	-
4	श्री अभिजीत सिंह वास्कले	26-02-2025	09-03-2025
5	श्री यश दुबे	-	14-03-2025 15-03-2025 16-03-2025
6	श्री राजकुमार तोरनिया	-	23-03-2025
7	श्री सुरेश बारगीया	-	01-03-2025 02-03-2025
8	श्रीमती श्रुति चौहान	02-02-2025 03-02-2025	-
9	श्री चेतन बजाड़	-	30-03-2025 31-03-2025
10	सुश्री आयुषी मित्तल	15-02-2025 16-02-2025	-





— ::तहसील न्यायिक स्थापना—राघौगढ़ ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह फरवरी 2025	माह मार्च 2025
1	श्री मोहम्मद जफर	09-02-2025 15-02-2025 16-02-2025	01-03-2025 02-03-2025
2	श्री आशीष शर्मा	01-02-2025 02-02-2025 03-02-2025	09-03-2025 23-03-2025
3	श्री रवि तंवर	23-02-2025 26-02-2025	14-03-2025 15-03-2025 16-03-2025 30-03-2025 31-03-2025

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—आरोन ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह फरवरी 2025	माह मार्च 2025
1	सुश्री रेणु खेस	09-02-2025 15-02-2025 16-02-2025 26-02-2025	09-03-2025 23-03-2025 30-03-2025 31-03-2025
2	श्री हीरालाल सिसौदिया	01-02-2025 02-02-2025 03-02-2025 23-02-2025	01-03-2025 02-03-2025 14-03-2025 15-03-2025 16-03-2025

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—चांचौड़ा ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह फरवरी 2025	माह मार्च 2025
1	श्रीमती आकांक्षा कात्याल	01-02-2025	09-03-2025



		23-02-2025	14-03-2025 15-03-2025
2	सुश्री प्रियम सेन	02-02-2025 03-02-2025 26-02-2025	23-03-2025 30-03-2025 31-03-2025
3	श्रीमती डिम्पल कश्यप	09-02-2025 15-02-2025 16-02-2025	01-03-2025 02-03-2025 16-03-2025

विशेष नोट— न्यायिक स्थापना चाचौडा में पदस्थ न्यायाधीशण के मध्य माह मार्च की रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति न होने से रिमाण्ड ड्यूटी आदेशानुसार संपादित की जावेगी।

सामान्य नोट—

1— माह **फरवरी+मार्च 2025** के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त अन्य किसी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में गुना, आरोन एवं चांचौडा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन **माह फरवरी 2025** कमशः **श्री राजकुमार तोरनिया/श्री हीरालाल सिसौदिया/श्री आशीष शर्मा/श्रीमती आंकाक्षा कात्याल एवं मार्च 2025 में श्रीमती ऋतु श्री गुप्ता/सुश्री रेणू खेस/श्री मोहम्मद जफर/सुश्री प्रियम सेन** द्वारा किया जावेगा।

2— उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

3— सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4— सार्वजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता है। अतः रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्य हेतु गरिमा अनुरूप उचित गणवेश रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान धारित करेंगे।

5— समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 03.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में

उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।

(भारत सिंह कनेल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

पृ.क. :- /2025

गुना, दिनांक 29.01.25

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।
- 7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना/आरोन/ राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)
29.01.2025



(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

न्यायालय : भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-गुना (म.प्र.)

कमांक / 107 / 25

गुना, दिनांक : 29.01.2025

::वीडियो कान्फ्रेसिंग ड्यूटी आदेश ::

माह फरवरी एवं मार्च 2025 में सोमवार से शनिवार में अधोलिखित कार्य दिवस में वीडियो कान्फ्रेसिंग ड्यूटी के दौरान निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना द्वारा दोपहर 02:00 बजे से 02:30 बजे के मध्य किया जाना है :-

क.	नाम अधिकारी	वार
1	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	सोमवार
2	श्रीमती श्रुति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	मंगलवार
3	श्रीमती रितु श्री गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	बुधवार
4	श्री अभिजीत सिंह वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	गुरुवार
5	श्री चेतन बजाड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	शुक्रवार
6	श्री राजकुमार तोरनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	शनिवार

नोट- उक्त वीडियो कान्फ्रेसिंग ड्यूटी में कोई संशोधन नहीं किया जावेगा, किन्तु किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने की दशा में उक्त ड्यूटी वर्तमान प्रचलित कार्यविभाजन पत्रक अनुसार की जावेगी।

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)
29.01.2025



(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला गुना (म.प्र.)

पृ.क.:— /2025

गुना, दिनांक 29.01.25

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना की ओर सूचनार्थ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।
- 7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)